जीसीएमएस नबंरः–2025/107

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 22/2025

1. यादविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी –35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. बुद्व सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरबन्स सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखदेव सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सतनाम सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. दिलबाग सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 35 बी.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. ग्राम पंचायत 35 बीबी जरिये सरपंच/सचिव

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. एस.पी. सिंह खुराना, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3
3. श्री जसराम टाक , अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–5
4. गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1,2,4 अनुपस्थित

:: आदेश ::

दिनांकः 14.01.2026

निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर का निवासी है और ग्राम पंचायत 35 बीबी में ही पिछले 10–12 वर्ष से स्थाई निवास कर रहा है चूंकि प्रार्थी एक सजग नागरिक है इसलिए निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।
2. यह कि ग्राम पंचायत 35 बीबी की आबादी भूमि 50–60 वर्ष पूर्व बनी थी। ग्राम पंचायत के मध्य सार्वजनिक चौंक स्थापित किया गया था ताकि समस्त सामाजिक गतिविधियों को सार्वजनिक स्थान पर सभी ग्रामवासी एक साथ मिल आयोजित कर सकें।
3. यहा कि अप्रार्थी संख्या 6 ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर ने बिना किसी क्षेत्राधिकार , विधि द्वारा विहित प्रक्रिया की पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या–2 को सार्वजनिक चौंक के भूखण्ड संख्या 24 व 25 के सामने डी–भाग में भूखण्ड 30X50 फुट का दिनांक 16.01.1977 को आवंटित कर दिया गया, अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगग्त अवैध आवंटित भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 को अन्तरण कर दिया गया है। आवंटन एवं अन्तरण प्रारम्भतः शून्य होने के कारण निष्प्रभावी है।
4. यह कि ग्राम पंचायत 35 बीबी अपने विधिक अधिकारों को पूर्णतः निर्वहन नहीं कर रही है चूंकि सार्वजनिक चौंक सार्वजनिक सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु सुरक्षित रखा गया था, ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा सार्वजनिक चौंक के ए भाग पर अवैध अतिक्रमण कर स्थायी कब्जा कर लिया है और इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने सार्वजनिक चौंक के डी भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर स्थायी कब्जा कर लिया है। इस प्रकार सार्वजनिक चौंक के ए,बी,व डी भाग पर किये गये अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से अतिक्रमियों को हटाया जाना अति आवश्यक है।
5. यह कि ग्रांम पंचायत के अभिलेख में सार्वजनिक चौंक के ए व बी भाग में किसी प्रकार के आवंटन की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है किन्तु मौंके पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण कर स्थायी निर्माण कर लिया है।
6. यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच को बार–बार अवैध आवंटन को निरस्त करने तथा अवैध अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया गया है किन्तु सरपंच राजनैतिक पक्षकार होने के कारण कोई कानून संगत न्यायोचित कार्यवाही नहीं कर रहा है। यही एकमात्र विकल्प है कि निगरानी के माध्यम से आवंटन को निरस्त करने एवं अतिक्रमण को हटाने का विकल्प है।
7. यह कि ग्राम पंचायत के अभिलेख में केवल आबादी भूमि का नक्शा होने के आधार पर एवं अप्रार्थी संख्या–2 के भूखण्ड आवंटन की फोटो के आधार पर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अप्रार्थी संख्या–6 के उपस्थित आने पर अन्य समस्त दस्तावेज को तलब कराया जाना न्यायोचित होगा।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत 35 बीबी से आवंटन के सम्बन्ध में अभिलेख की मांग की गई तो दिनांक 09.03.2021 को केवल नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी, अन्य रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण असमर्थता जताई , इसलिए निगरानी जानकारी के अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 16.01.1977 आवंटित भूखण्ड संख्या 25(ए) साईज 30X50 फुट को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावें तथा सार्वजनिक चौंक के स्थान पर अतिक्रमियों को हटाया जावें अथवा उनके पट्टे हो तो निरस्त किये जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या–6, सरपंच ग्राम पंचायत 35 बीबी, पं.स. पदमपुर ने अपना जवाब पत्र कमांक 49 दिनांक 07.07.2021 द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया कि :–

1. ग्राम पंचायत 35 बीबी के अन्तर्गत चक 34 बीबी , 35 बीबी, 36 बीबी, 37 बीबी, 38 बीबी 39 बीबी व 1 एफएफबीए चकों की आबादी भूमि आती है। प्रार्थी द्वारा किस चक की भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
2. प्रार्थी चक 35 बीबी का मूल निवासी है।
3. माननीय अदालत पंचायत 35 बीबी के जिस चक की आबादी के रिकॉर्ड की मांग करेगी , उसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या–03 के अधिवक्ता अपनी लिखित बहस निम्नानुसार प्रस्तुत की है:–

1. प्रार्थी द्वारा वर्तमान निगरानी गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता यादविन्द्र सिंह जो कि अप्रार्थी संख्या–2 हरबंस सिंह का पौत्र है तथा अप्रार्थी संख्या–2 को भूखण्ड संख्या 24 व 25 के सामने डी भाग 30X50 फुट जो दिनांक 16.01.1977 को आवंटित हुआ था उसकी जानकारी निगरानीकर्ता को बचपन से ही थी जो जन्म से ही उक्त गांव 35 बीबी का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

स्थाई निवासी है जिसकी वर्तमान में आये 26–27 वर्ष है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी की चरण संख्या–1 में स्वयं को उक्त गांव में पिछले 10–12 वर्षो से निवास करना बताया है जो कि गलत रूप से अंकित किया है।

2. यह कि निगरानीकर्ता को उक्त आवंटनकी जानकारी प्रारम्भ से ही थी जिस द्वारा ग्राम पंचायत 35 बीबी से आवंटन के सम्बन्ध में अभिलेख मांगने के तथ्य दिनांक 09.03.2021 का अंकन केवल मात्र निगरानी को मियाद के अन्दर लाने हेतु अंकित किये है व निगरानी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि ग्राम पंचायत 35 बीबी द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही सही रूप से की है तथा अप्रार्थी संख्या–2 को जो भूखण्ड आवंटित किया है उसे अप्रार्थी संख्या–2 अप्रार्थी संख्या–1 को विक्रय किया जा चुका है यदि ऐसा अन्तरण शून्य व निष्प्रभावी करवाना है तो उसके लिये सिविल न्यायालय को अधिकारिता है ऐसी स्थिति में निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि 35 बीबी में किसी प्रकार से भी सार्वजनिक चौंक पर कोई अवैध निर्माण व अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं है इस सम्बन्ध में कमिश्नर नियुक्त कर जांच करवाई जा सकती थी परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा गलत रूप से निगरानी में तथ्य अंकित कर अतिक्रमण का अंकन किया है जबकि सार्वजनकि चौंक पर न तो किसी प्रकार का अतिक्रमण है व न ही कब्जा है।

5. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 जो कि उसका सगा दादा है से मिलीभगत करके मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है चूंकि अप्रार्थी संख्सा–2 को जो भूखण्ड दिनांक 16.01.1977 को आवंटित किया गया था जिसे कि अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा विक्रय के माध्यम से अन्तरण किया गया था जिसे कि अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा विक्रय के माध्यम से अन्तरण किया जा चुका है तथा चुनावी रंजिशवंश अप्रार्थी संख्या–2 व निगरानीकर्ता मिलीभगत करते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि अप्रार्थी संख्या–3 के नाम से आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा जारी है जो कि दिनांक 08.08.1983 को सरपंच ग्राम पंचायत 35 बीबी द्वारा जारी किया गया है निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है व न ही पट्टा जारी होने बाबत कोई आक्षेप ही अंकित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्व किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है व निगरानी खारिज किये जाने योग्य है तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या–2 हरबंस सिंह द्वारा भूखण्ड डी–1 साईज 50X50 फीट जिसका दस्तावेज बैयनामा हरबंस सिंह द्वारा बुद्व सिंह के पक्ष में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

दिनांक 28.11.2017 को जारी किया गया है जिसे निरस्त करने हेतु केवल सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि निगरानी के अनुतोष में निगरानीकर्ता द्वारा केवल निगरानीधीन आदेश दिनांक 16.01.1977 आवंटित भूखण्ड संख्या 25(ए) साईज 30X50 फुट को निरस्त करने हेतु अनुतोष चाहा है जबकि निगरानी में तथ्य भिन्न अंकित किये गये है ऐसी स्थिति में भी निगरानी विशेष हर्जाना के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगरानी विशेष हर्जाना के साथ निरस्त की जावें।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 6 ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर द्वारा बिना किसी क्षेत्राधिकार, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया को पालना नहीं कर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 को सार्वजनिक चौंक के भूखण्ड संख्या 24 व 25 के सामने डी–भाग में भूखण्ड 30X50 फुट का दिनांक 16.01. 1977 को आवंटित किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा प्रश्नगगत अवैध आवंटित भूखण्ड को गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को बेचान कर दिया है। सार्वजनिक चौंक सार्वजनिक सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु सुरक्षित रखा हुआ था। ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 3 द्वारा सार्वजनिक चौंक के ए भाग पर अवैध अतिक्रमण कर स्थायी कब्जा कर लिया है और गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 व 5 ने सार्वजनिक चौंक के डी भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर स्थायी कब्जा कर लिया है। इस प्रकार सार्वजनिक चौंक के ए,बी,व डी भाग पर किये गये अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से अतिक्रमियों को हटाया जाना अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत के सरपंच को बार–बार अवैध आवंटन को निरस्त करने तथा अवैध अतिक्रमण को हटाने का कहा गया है परन्तु सरपंच राजनैतिक पक्षकार होने के कारण कोई कानून संगत न्यायोचित कार्यवाही नहीं की है। अतः निगरानीधीन आदेश दिनांक 16.01.1977 आवंटित भूखण्ड संख्या 25(ए) साईज 30X50 फुट को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावें तथा सार्वजनिक चौंक के स्थान पर अतिक्रमियों को हटाया जावें अथवा उनके पट्टे हो तो निरस्त किये जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत 35 बी.बी. तहसील पदमपुर हाल तहसील गजसिंहपुर द्वारा सार्वजनिक चौंक से भूखण्ड संख्या 24 व 25 के सामने डी–भाग में भूखण्ड संख्या 25(ए) साईज 30X50 फुट का दिनांक 16.01.1977 को जारी पट्टा के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड खसरा रजिस्टर के प्रथम पृष्ट पर उपलब्ध नवशा में डी–सी–बी–ए भाग जो दिखाया किया गया है वह सार्वजनिक चौंक स्थल के साथ चिपता हुआ दर्शित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त जगह सार्वजनिक चौंक की हो, ना ही नक्शा से यह प्रमाणित होता है कि उक्त पट्टा वाली जगह सार्वजनिक चौंक को हो। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 को उक्त विवादित जगह का जो बैयनामा किया गया है प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त विवादित जगह दुकान नम्बर डी–1 साईज 50X50 फुट होना बताया गया है। जबकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड साईज 30X50 फुट होना बताया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा भी अपनी बहस में यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित जगह का बेचान हो चुका है जो जरिये रजि0 बैयनामा 28.11.2017 द्वारा हुआ है रजि0 बैयनामा को खारिज करने की अधिकारिता सक्षम न्यायालय को है ना कि इस न्यायालय को। प्रथमदृष्टया सबूतो के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त विवादित जगह सार्वजनिक चौंक की है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति गय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)

(प्रशासन), श्रीगंगानगर।